

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 28 / 2024

डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) फेस-टू-फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में नियमानुसार वैध नामांकित विद्यार्थियों का ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी०एल०एड० कोर्स संचालित राजकीय एवं अराजकीय प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि डी.एल.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2023 में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों के द्वारा संस्थानों में नामांकन के लिए संस्थान चयन हेतु भरे गए ऑनलाईन आवेदन (Common Application Form) के आधार पर द्विवर्षीय डी.एल.एड. (फेस-टू-फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के लिए विधिवत नामांकित विद्यार्थियों का उक्त सत्र की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाईन सूचीकरण आवेदन संबंधित प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के माध्यम से दिनांक 24.01.2024 से 06.02.2024 तक की अवधि में भरा जाएगा तथा निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा, जिसके लिए समिति का पोर्टल (वेबसाइट) secondary.biharboardonline.com उक्त अवधि में खुला रहेगा।

2. विधिवत नामांकित विद्यार्थियों के लिए जो सूचीकरण आवेदन प्रपत्र अपलोड किया गया है, उसमें **खण्ड 'A' एवं खण्ड 'B'** है। खण्ड 'A' में क्रमांक 1 से 16 तक विद्यार्थी का विवरण भरा हुआ है, जो ऑनलाईन प्रणाली से नामांकन हेतु उसके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर है। उसमें कोई छेड़-छाड़/परिवर्तन नहीं किया जाना है। आवेदक द्वारा मात्र खण्ड 'B' में क्रमांक 17 से 30 तक में अंकित विवरणों को अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

3. स्पष्ट किया जाता है कि सूचीकरण आवेदन में अंकित विवरणों के अनुसार ही विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन भरा जाना है, इसलिए यह आवश्यक है कि सूचीकरण आवेदन भरने में पूरी सतर्कता बरती जाए, ताकि बाद में इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता न पड़े।

4. शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत सीट के अनुरूप ऑनलाईन माध्यम से समिति द्वारा चयनोपरांत अथवा प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं स्पॉट नामांकन प्रक्रियान्तर्गत विधिवत नामांकित एवं वैध तथा सही अभ्यर्थित वाले विद्यार्थियों का ही सूचीकरण डी.एल.एड. (फेस-टू-फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के लिए हो और इसमें किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि नहीं होने पाये। बाद में किसी भी तरह के संशोधन/परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

5. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त संस्थानों के प्राचार्य द्वारा ही वैध विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/सम्बद्धता रद्द/निलम्बित/वापस ले ली गई है, वैसे शिक्षण संस्थानों के सूचीकरण आवेदन कदापि नहीं भरा जाएगा।

6. यदि विद्यार्थी को आधार नं० आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आधार की घोषणा क्रमांक 18 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस आवेदन प्रपत्र के क्रमांक 17 एवं 18 में आधार संबंधी निदेश स्पष्ट रूपण अंकित है।

विषय संरचना :		
विषय कोड		
1	2	3
अनिवार्य विषय समूह (Compulsory Subject Group)	प्रथम वर्ष	F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11 & F-12
	द्वितीय वर्ष	S-9 (Pedagogy of anyone subject from Upper-primary level (class 6-8) : (a) Mathematics (b) Science (c) Social Science (d) English (e) Hindi (f) Sanskrit (g) Maithili (h) Bangla (i) Urdu

द्वितीय वर्ष के विषय कोड S-9 (उच्च-प्राथमिक स्तर वर्ग-6-8) के विकल्प (a से i) में से किसी एक का चयन किया जाएगा।

7. ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य दिनांक 24.01.2024 से दिनांक 06.02.2024 तक की अवधि में समिति के पोर्टल (वेबसाइट) secondary.biharboardonline.com से पंजीयन आवेदन प्रपत्र की अलग-अलग दो प्रति में डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे, जिसमें विद्यार्थी द्वारा विषय कोड- S-9 में चयनित विकल्प विषय एवं अन्य विवरणों को भली भाँति भरते हुए हस्ताक्षर किया जाना है।

7.1 प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा भरे गये एवं हस्ताक्षरित पंजीयन आवेदन की दो प्रति में से एक प्रति को प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य के पास जमा किया जाएगा एवं दूसरी प्रति पर प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य का हस्ताक्षर एवं मुहर प्राप्त कर विद्यार्थी द्वारा अपने स्तर पर संधारित किया जाएगा। इसके उपरान्त प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य अपने कार्यालय में विधिवत संधारित नामांकन पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की सभी प्रवृष्टियों का मिलान कर आवश्यक हो लेंगे कि विद्यार्थी द्वारा पंजीयन आवेदन में भरे गये विवरण प्रशिक्षण संस्थान में रक्षित संगत अभिलेखों के बिल्कुल अनुरूप हैं।

7.2 प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, जिन विद्यार्थियों का पंजीयन आवेदन ऑनलाईन भरेंगे और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे, उसमें से प्रत्येक विद्यार्थी के ऑनलाईन भरे गए पंजीयन आवेदन की तीन प्रतियाँ समिति की वेबसाइट से डाउनलोड कर उसमें से दो प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख स्वरूप सुरक्षित रखेंगे।

7.3 प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य द्वारा ऑनलाईन भरे गए पंजीयन आवेदन की दो प्रति, जो प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ विद्यार्थी को दिया जाएगा, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो संबंधित विद्यार्थी वांछित संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ पुनः प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को संशोधन कराने हेतु एक प्रति उपलब्ध करा देंगे और एक प्रति पर संस्थान का हस्ताक्षर मुहर प्राप्त कर अपने पास रख लेंगे।

7.4 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कराये गये संशोधित पंजीयन आवेदन प्रपत्र के आधार पर प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य समिति के पोर्टल पर वांछित संशोधन करते हुए दिनांक 06.02.2024 तक ऑनलाईन पंजीयन आवेदन भरेंगे एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

8. **विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में विशेष अनुदेश (Instructions Regarding Eligibility of the Students)** - 01.01.2023 को विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 17 (सत्रह) वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र के विद्यार्थियों का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा इस मद में जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही सत्र 2023-25 में नामांकित विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विलंकांग एवं अन्य आरक्षित कोटि के विद्यार्थियों को अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

9. डी.एल.एड. (फेस-टू-फेस) पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के पंजीयन की मान्यता लगातार तीन वर्ष के लिए ही मान्य होगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई:-

10. जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले में अवस्थित ERC NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों की बैठक आहूत कर उन्हें विद्यार्थियों का पंजीकरण निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कराये जाने हेतु सभी नियमों से अवगत कराते हुए उसका दृढ़ता से अनुपालन करने के संबंध में निदेशित करेंगे।

11. पंजीयन आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत् है :

मद	निर्धारित शुल्क
ऑनलाईन पंजीयन आवेदन पत्र शुल्क (सभी कोटि के विद्यार्थियों को)	₹ 50
ऑनलाईन डाटा इन्ट्री शुल्क	₹ 20
पंजीयन शुल्क	₹ 330
कुल राशि	₹ 400

जितने विद्यार्थियों का सूचीकरण आवेदन भरा जाएगा, प्रथमतः विद्यार्थियों के संख्या के आधार पर निर्धारित शुल्क शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा जमा किया जाएगा। इसके उपरान्त ही सूचीकरण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

12. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य निम्नांकित प्रक्रिया के अन्तर्गत विद्यार्थियों का ऑनलाईन पंजीयन आवेदन भरना एवं शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे:-

ऑनलाईन पंजीयन आवेदन-पत्र भरे जाने की प्रक्रिया :-



12.1 **शुल्क जमा करने की प्रक्रिया :-** प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पूर्व से प्राप्त User ID एवं पासवर्ड के माध्यम से समिति की वेबसाइट- secondary.biharboardonline.com के लिंक पर Registration Login कर पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए "Make Payment" पर क्लिक करेंगे, जो वेबसाइट के होम पेज पर दाहिने भाग में "Quick link" में उपलब्ध रहेगा। पंजीयन शुल्क का भुगतान निम्नांकित माध्यम से किया जा सकता है :-

12.2 **ई-चालान से नगद भुगतान :-** पंजीयन शुल्क ई-चालान के माध्यम से **Axis Bank** के किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्राचार्य ई-चालान से भुगतान करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि किसी भी स्थिति में भुगतान सीधे समिति के खाते में नहीं कर ई-चालान में अंकित बैंक खाता में ही हो। ई-चालान पर कोई भी Account No. लिखकर भुगतान न करें, यह अमान्य है। समिति द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जायेगा। इस तरह से भुगतान किये गये शुल्क की जवाबदेही प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की होगी। प्रत्येक चालान का अलग-अलग भुगतान आवश्यक है। किसी भी स्थिति में कोई चालान में अंकित राशि का भुगतान एक चालान से नहीं किया जाय।

12.3 **NEFT के माध्यम से भुगतान :-** शिक्षण संस्थान के प्राचार्य NEFT पर अंकित खाता संख्या IFSC Code एवं Total Amount के संबंध में भुगतान करने से पहले अवश्य जाँच कर लेंगे। Total Amount से कम या अधिक राशि होने पर NEFT की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पायेगी और राशि वापस उसी खाते में लौट जायेगी।

12.3.1 NEFT का भुगतान कभी भी कई Payment Advice को मिलाकर एक बार में न करें।

12.3.2 जिस बैंक खाते से NEFT में शुल्क का भुगतान कर रहे हों उस बैंक का NEFT का निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। NEFT से भुगतान के लिए Payment Advice में अंकित राशि को उसमें अंकित Account No. में जमा कराना अनिवार्य है।

12.3.3 यदि NEFT से किया गया भुगतान पुनः उसी खाते में वापस आ जाता है, तो वह राशि उसी NEFT करने वाले बैंक का CIF नंबर (स्पेशल करैक्टर रहित) जिसमें स्पेशल करैक्टर होता है, तो उस स्पेशल करैक्टर को हटाना आवश्यक होगा, तभी NEFT से भुगतान किया जा सकेगा। इस संदर्भ में आवश्यक जानकारी अपने बैंक से प्राप्त की जा सकती है।

12.3.5 NEFT से मात्र Payment Advice पर अंकित A/c No. पर ही भुगतान करेंगे। किसी अन्य A/c No. पर किये गये भुगतान मान्य नहीं होगा।

12.3.6 ऑनलाईन भुगतान Credit Card/Debit Card/Net Banking के माध्यम से भी किया जा सकता है।

13. सत्र-2023-25 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों का उ-हँही विषय के साथ परीक्षा आवेदन एवं शुल्क स्वीकार किया जाएगा, जिन विद्यार्थों के साथ विद्यार्थी पंजीकृत होंगे। अतः इसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कि पंजीयन आवेदन भरते समय कोई त्रुटि न हो।

14. अतः अनुरोध है कि विशेष प्राथमिकता देते हुए पूरी सतर्कता के साथ सत्र-2023-25 के सही अभ्यर्थित वाले विद्यार्थियों के ऑनलाईन पंजीयन आवेदन भरवाने एवं शुल्क जमा करवाने की सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

15. ऑनलाईन पंजीयन आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के **हेल्पलाइन नम्बर- 0612-2232257** अथवा **E-mail ID: "bsebsehlpdesk@gmail.com"** पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (विधि)